

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील
13 ¹⁰ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश ही ककी मुकदमा अदम लखरी अदम पंखी में खरीज है चुका हो कतः जार्जना - पत्र 212 रत-मध को आगे चलान का कोई औचित्य नहीं हो कतः जार्जना - पत्र 212 रत-मध इसी जल पद खरीज किया जाता है पत्रावली फलत मुकदमा खोल कारियल पकर ही</p> 	